समक्षः श्रीमान सम्मानीय सदस्य ...
संभाग जबलपुर ग्वालियर (21)

प्र0क्र0 .1697/I/11

म0प्र0शासन द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय
कटनी जिला कटनी म0प्र0 आवेदक

विरूद्ध

ए0सी0सी0लिमिटेड कैमोर
सीमेण्ट वर्क्स कैमोर
जिला कटनी म0प्र0 अनावेदक

पेशी दिनॉक17.09.2015

आवेदन पत्र आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र धारा 51 (1) म0प्र0भू0रा0संहिता 1959 पुर्नविलोकन की ग्राहिता पर आपत्ति एवं जबाब

अनावेदक सविनय निवेदन करता हैः–

1– यह कि अनावेदक संस्थान को सीमेण्ट निर्माण हेतु म0प्र0 खनिज साधन विभाग मंत्रालय भोपाल अनुमोदन केन्द्रीय भारत सरकार द्वारा ग्राम कोईलिया सहित 15 ग्रामो मे रकवा 1520.22 हे0 अवधि 17.12.2009 से 31.03. 2030 तक चूना पत्थर उत्खनन हेतु खनिज पट्टा स्वीकृत है जिसमे ग्राम महगॉव तहसील वि0गढ़ मे 122.49 हे0 भूमि की खनिज पट्टा लीज स्वीकृत है,जिसमे खसरा कमांक 91,103,113 कुल रकवा 1.37हे0 भूमि जो शासकीय है माइनिंग लीज मे स्वीकृत है ,जिसमे श्रीमान कलेक्टर महोदय कटनी द्वारा कुल रकवा 20.61 हे0 भूमि पर म0प्र0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 247,5 के अंतर्गत दिनॉक 06.01.2009 को खसरा नंबर 91,113 पर भू प्रवेश की अनुमति प्रदान की है। जिस पर आवेदक कलेक्टर महोदय कटनी द्वारा म0प्र0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 51 की उपधारा (1)के तहत पुर्नविलोकन की अनुमति राजस्व मण्डल म0प्र0ग्वालियर से चाही है।

2– यह कि आवेदक द्वारा म0प्र0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 51(1) के प्रारूप के अनुसार पुर्नविचार याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही की गई है और ना ही पुर्नविचार करने हेतु न्यायालय के सामने सही तथ्य सही आधार व कारण नही बताये गये है अतः आवेदन प्रथम दृष्टया ग्राहय योग्य नही है।

Xxxix(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 1697 –एक/2011 पुनरावलोकन

जिला कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि.के हस्ता
2.2.16.	कलेक्टर, जिला कटनी,म0प्र0 की ओर से न्यायालयीन प्रकरण कमांक 26 अ–67/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 6–1–2009 के पुनरावलोकन किए जाने संबंधी प्रस्ताव कमांक 11155/रा0प्र0क0/ 26/अ–67/ 07–08 दिनांक 12–10–11 प्राप्त हुआ है। 2/ कलेक्टर के प्रस्ताव पर म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अंतर्गत पुनरावलोकन प्रकरण दर्ज कर अनावेदक को सूचना जारी की गई। म0प्र0शासन के पैनल लायर श्री बी0एन0त्यागी एंव अनावेदक के अभिभाषक श्री कुँअर सिंह कुशवाह को सुना गया । श्री कुशवाह द्वारा पुनरावलोकन नहीं किये जाने तावत् प्रस्तुत आपत्ति दिनांक 17–9–15 पर विचार किया गया। 3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत आपत्ति आवेदन में वर्णित तथ्यों के अवलोकन से स्थिति यह है कि तत्का. कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 26 अ–67 /07–08 में पारित आदेश दिनांक 6–1–2009 में वर्तमान पदस्थ कलेक्टर द्वारा तकनीकी एंव प्रक्रियात्मक त्रृटि रह जाने से बैधानिक बिन्दुओं पर विचार के उद्देश्य से पुनरावलोकन की अनुमति मांगी है। जहॉ तक अनावेदक द्वारा पुनरावलोकन के विचार हेतु प्रस्तुत आपत्ति का प्रश्न है – विचाराधीन मामला गुणदोषों के विचार का नहीं है, मात्र पुनरावलोकन अनुमति दिये जाने/न दिये जाने तक सीमित है। अनावेदक जो तथ्य इस न्यायालय में बताकर पुनरावलोकन अनुमति नहीं देने की प्रार्थना कर रहा है वही तथ्य कलेक्टर कटनी के समक्ष प्रस्तुत कर पुनरावलोकन कार्यवाही अरुद्ध कराकर प्रकरण समाप्त करवा सकता है, जिसके कारण पुनरावलोकन अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की अड़चन नहीं है। तद्नुसार पुनरावलोकन अनुमति प्रदान की जाती है। सदस्य	

R